न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- रोहित कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 78/2019

वादीगण 1. कान्तिलाल पुत्र पारसमल 2. छगनराज पुत्र पारसमल 3. ललित पुत्र पारसमल 4. प्रवीण कुमार पुत्र धनराज 5. अरविंद कुमार पुत्र धनराज 6. हुलास कुमार पुत्र धनराज जातियान ओसवाल सभी निवासीयान दलालो का वास बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण 1. पारसमल पुत्र रिकबचन्द 2. धनराज पुत्र रिकबचन्द जातियान ओसवाल (छाजेड़) निवासीयान दलालो का वास बालोतरा तहसील पचपदरा
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रफोमा पक्षकार 4. सुबटीदेवी पत्नी स्व. फतेहचन्द जाति ओसवाल (छाजेड़)
5. विजयराज पुत्र फतेहचन्द जाति ओसवाल (छाजेड़)
6. नरेशकुमार पुत्र फतेहचन्द जाति ओसवाल (छाजेड़) निवासीयान दलालो का वास बालोतरा तह पचपदरा

दिनांक: 12.11.2020

निर्णय

उपस्थित –

1. श्री अचलाराम धोरी विद्वान अधिवक्ता, वादीगण की ओर से
2. श्री विक्रम आशिया विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ओर से

वादीगण ने न्यायालय में अधिकार घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बालोतरा, पटवार हल्का बालोतरा प्रथम की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खेत खसरा सं. 1044 रकबा 01 विस्वा, खसरा सं. 1045/1259 रकबा 10 बीघा 10 विस्वा, खसरा सं. 1045/1260 रकबा 06 बीघा, खसरा सं. 1707/1045 रकबा 02 बीघा 09 विस्वा, खसरा सं. 1708/1045 रकबा 03.15 बीघा, खसरा सं. 1710/1045 रकबा 03.07 बीघा, खसरा सं. 1711/1045 रकबा 02.10 बीघा, खसरा सं. 1713/1045 रकबा 04.03 बीघा, खसरा सं. 1714/1045 रकबा 02.09 बीघा, कुल रकबा 35.04 बीघा आई हुई है, प्रतिवादी सं. 01 वादी सं. 01 ता 03 के पिता है, तथा प्रतिवादी सं. 02 वादी सं. 04 ता 06 के पिता है, तथा प्रतिवादी सं. 01 पारसमल व 02 धनराज तथा प्रतिवादी सं. 04 ता 06 के पिता फतेहचन्द आपस में सगे भाई है। कृषि भूमि वादीगण के दादा रिकबचन्दजी के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषी भूमि रही है, वादीगण के दादा रिकबचन्दजी का देहान्त हिन्दु रहते निर्वसियति हुआ, तदोपरान्त उपरोक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषि भूमि में वादीगण के दादा रिकबचन्दजी के तीनो पुत्रो प्रतिवादी 01, 02 तथा प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के पिता फतेहचन्द का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद किये गये, वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु धर्म के अनुयायी है, उपरोक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषि भूमि में वादी सं. 01 व 03 के पिता प्रतिवादी सं. 01 पारसमल का 1/3 हिस्सा और वादी सं. 04 ता 06 के पिता धनराज का 1/3 हिस्सा, तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के हकपुर्वाधिकारी पिता फतेहचन्द रहा। जिसमें वादी 1 ता 3 का प्रतिवादी सं. 01 के 1/3 हिस्से में से प्रत्येक का 1/3 हिस्सा यानि सम्पुर्ण कृषि भूमि में 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा कब्जा काश्त का रहा, इसी प्रकार वादी सं. 04 ता 06 का प्रतिवादी सं. 02 धनराजजी के 1/3 हिस्से में से प्रत्येक का 1/3 हिस्सा यानि सम्पुर्ण कृषि भूमि में से 1/9,1/9,1/9 हिस्सा कब्जा काश्त का रहा। किन्तु प्रतिवादीगण कुछ असामाजिक तत्वो के सिखांवे में आकर वादीगण को अपने हको से महरूम रखने के लिए उपरोक्त कृषि भूमि को आगे बेचान करने हेतु उतारू है, जबकि ऐसा करने का कोई

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

......2..

Scanned with CamScanner

अधिकार प्रतिवादीगण को नही है, और न ही परिवार में ऐसी कोई जायज जरूरत ही है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 01 व 02 को वादग्रस्त भूमि से अपना हिस्सा अलग कराने हेतु बार बार निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादी सं. 01व 02 ने वादीगण की बात पर कोई ध्यान नही दिया, उल्टे भूमि को आगे बेचान करने की धमकीया देने लगे, जिससे वादीगण के अधिकारो को सुनिश्चित करने के लिये घोषणा का नियमित वाद संस्थित करना आवश्यक हो गया है।

वादीगण की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया, प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाबदावा पेश कर कथन किया कि यह तथ्य स्वीकार है कि वादी सं. 01 ता 03 प्रतिवादी सं. 1 पारसमल के जायन्दा पुत्रान है इसी प्रकार वादी सं. 04 ता 06 प्रतिवादी सं. 02 धनराज की जायन्दा पुत्रान है। राजस्व गांव बालोतरा में स्थित कृषि भुमि खेत खसरा सं. 1044 रकबा 01 विस्वा, खसरा सं. 1045/1259 रकबा 10 बीघा 10 विस्वा, खसरा सं. 1045/1260 रकबा 06 बीघा, खसरा सं. 1707/1045 रकबा 02 बीघा 09 विस्वा, खसरा सं. 1708/1045 रकबा 03.15 बीघा, खसरा सं. 1710/1045 रकबा 03.07 बीघा, खसरा सं. 1711/1045 रकबा 02.10 बीघा, खसरा सं. 1713/1045 रकबा 04.03 बीघा, खसरा सं. 1714/1045 रकबा 02.09 बीघा, कुल रकबा 35.04 बीघा में प्रतिवादी सं. 01 पारसमल के 1/3 हिस्से में वादी सं. 01 ता 03 को तथा प्रतिवादी सं. 02 धनराज के 1/3 हिस्से में वादी सं. 04 ता 06 को खातेदार घोषित किया जाता है, तो प्रतिवादीगण को उजर ऐतराज नहीं है। उपरोक्त अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित करने से प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का हक हिस्सा प्रभावित नहीं होते है, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खातेदारी हक हिस्से में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, तो हम प्रतिवादी सं. 4 ता 6 को कोई आपति नहीं है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा किश्तवार, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया ।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुए तर्क दिया कि, माफिक इस्तदुआ वाद पत्र वादी स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे, जिस पर प्रतिवादीगण ने पुर्ण सहमति में दी है।

चुंकि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 01 पारसमल के 1/3 हिस्से में वादी सं. 01 ता 03 को तथा प्रतिवादी सं. 02 धनराज के 1/3 हिस्से में वादी सं. 04 ता 06 को खातेदार घोषित किया जाता है, तो प्रतिवादीगण को उज्र ऐतराज नहीं है। उक्त संस्वीकृति के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार करना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा बालोतरा में स्थित कृषि भुमि खेत खसरा सं. 1044 रकबा 01 विस्वा, खसरा सं. 1045/1259 रकबा 10 बीघा 10 विस्वा, खसरा सं. 1045/1260 रकबा 06 बीघा, खसरा सं. 1707/1045 रकबा 02 बीघा 09 विस्वा, खसरा सं. 1708/1045 रकबा 03.15 बीघा, खसरा सं. 1710/1045 रकबा 03.07 बीघा, खसरा सं. 1711/1045 रकबा 02.10 बीघा, खसरा सं. 1713/1045 रकबा 04.03 बीघा, खसरा सं. 1714/1045 रकबा 02.09 बीघा, कुल रकबा 35.04 बीघा में प्रतिवादी सं. 01 पारसमल के 1/3 हिस्से में प्रत्येक वादी सं. 01 ता 03 को 1/12, 1/12, 1/12, का खातेदार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी सं. 1 पारसमल का जो 1/3 हिस्सा है, उसके स्थान पर 1/12 हिस्सा घोषित किया जाता है, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 02 धनराज के 1/3 हिस्से में वादी सं. 04 ता 06 को 1/12, 1/12, 1/12, हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी सं. 2 धनराज का जो 1/3 हिस्सा है, उसके स्थान पर 1/12 हिस्सा घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 4, 5, 6 का वर्तमान खतौनी अनुसार हिस्सा यथावत रहेगा। पक्षकारान् खर्चा अपना_अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज खुले न्यायालय में तारीख 12.11.2020 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'1)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर S.D.O मुकाम बालोतरा

बइजलास – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस

वादीगण 1. कान्तिलाल पुत्र पारसमल 2. छगनराज पुत्र पारसमल 3. ललित पुत्र पारसमल 4. प्रवीण कुमार पुत्र धनराज 5. अरविंद कुमार पुत्र धनराज 6. हुलास कुमार पुत्र धनराज जातियान ओसवाल सभी निवासीयान दलालो का वास बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण 1. पारसमल पुत्र रिकबचन्द 2. धनराज पुत्र रिकबचन्द जातियान ओसवाल (छाजेड़) निवासीयान दलालो का वास बालोतरा तहसील पचपदरा
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रफोमा पक्षकार 4. सुवटीदेवी पत्नी स्व. फतेहचन्द जाति ओसवाल (छाजेड़)
5. विजयराज पुत्र फतेहचन्द जाति ओसवाल (छाजेड़)
6. नरेशकुमार पुत्र फतेहचन्द जाति ओसवाल (छाजेड़) निवासीयान दलालो का वास बालोतरा तह पचपदरा

<u>दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश</u>

मुकदमा नं. राजस्व मूल वाद संख्या 78 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे ब हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई वकील श्री अचलाराम थोरी व मिनजानिब प्रतिवादीगण मुदायलाह विक्रम आशिया ओर से हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा बालोतरा में स्थित कृषि भूमि खेत खसरा सं. 1044 रकबा 01 विस्वा, खसरा सं. 1045/1259 रकबा 10 बीघा 10 विस्वा, खसरा सं. 1045/1260 रकबा 06 बीघा, खसरा सं. 1707/1045 रकबा 02 बीघा.09 विस्वा, खसरा सं. 1708/1045 रकबा 03.15 बीघा, खसरा सं. 1710/1045 रकबा 03.07 बीघा, खसरा सं. 1711/1045 रकबा 02.10 बीघा, खसरा सं. 1713/1045 रकबा 04.03 बीघा, खसरा सं. 1714/1045 रकबा 02.09 बीघा, कुल रकबा 35.04 बीघा में प्रतिवादी सं. 01 पारसमल के 1/3 हिस्से में प्रत्येक वादी सं. 01 ता 03 को 1/12, 1/12, 1/12, का खातेदार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी सं. 1 पारसमल का जो 1/3 हिस्सा है, उसके स्थान पर 1/12 हिस्सा घोषित किया जाता है, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 02 धनराज के 1/3 हिस्से में वादी सं. 04 ता 06 को 1/12, 1/12, 1/12, हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी सं. 2 धनराज का जो 1/3 हिस्सा है, उसके स्थान पर 1/12 हिस्सा घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड़ में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 4, 5, 6 का वर्तमान खतौनी अनुसार हिस्सा यथावत रहेगा। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O) बालोतरा

हस्ताक्षर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner